रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 1991/चैत्र 25, 1913
No. 146] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 15, 1991/CHAITRA 25, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1991

सा. का. नि. 217(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति, (संशोधन) विनियम, 1991 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं.पी. आर. 12016/7/91-पीई० 1]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 (1963 का 38) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड, एतद्द्वारा मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी स्वेच्छा निवृत्ति योजना 1983 के बदले में निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. लघु शीर्षक

ये विनियम मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सेवा निवृत्ति) (संशोधन) विनियम 1991 कहलाए जाएंगें ।

2. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सेवा निवृत्ति) विनियम में आगे से प्रमुख विनियम कहलाएं जाएंगे, विनियम 6 के अधीन आने वाली टिप्पणियां (1), (2) और (3) हटा दी जाएंगी।

3. प्रमुख विनियमों में निम्नलिखित को विनियम 7,8, 9,10 और 11 के रूप में जोड़ा जाएगा।

"विनियम 7—20 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति

(1) इन विनियमों के विनियम 6 में किसी भी बात के होते हुए भी अगर किसी भी कर्मचारी ने 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है और वह स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्ति होना चाहता है तो वह तीन महीने का लिखित नोटिस दे कर ऐसा कर सकता है जो निम्न शर्तों पर होगी:

(ए) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के नोटिस की मंजूरी अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की अपेक्षित है।

(बी) सेवा निवृत्ति का पूर्ण हक कर्मचारी की स्वैच्छा पर निर्भर है जिसके लिए यह खुद प्रयत्न करेगा। विनियम 7 के तहत कर्मचारी की निवृत्ति के लिए पोर्ट ट्रस्ट का कोई पारस्परिक हक नहीं होगा।

(सी) इस विनियम के तहत कर्मचारी द्वारा दिया गया स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का नोटिस बाद में वापस लिया जा सकता है। लेकिन यह केवल अध्यक्ष के अनुमोदन पर ही होगा बशर्ते कि यह वापसी का अनुरोध अवधि के समाप्त होने के पहले किया गया हो।

(डी) जब कर्मचारी लीवनाट ड्यू पर हो और ड्यूटी पर आये बिना ही इस विनियम के तहत सेवा निवृत्त होता है तो सेवा निवृत्ति लीव नाट ड्यू की अवधि में दिए गये वेतन की उससे वसूली कर ली जाएगी।

(1) जो कर्मचारी इस विनियम के तहत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की मांग करता है तो ऐसा करने से पहले उसे स्वयं संतुष्ट होना होगा कि उसको वास्तव में निम्नलिखित के लिए बीस वर्ष की अर्हक सेवा समाप्त कर ली है:—

1) मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (पेंशन) विनियम के तहत पेंशन; या

(2) मद्रास पोर्ट ट्रस्ट अंशदायी भविष्य निधि विनियम के तहत भविष्य निधि को विशेष अंशदान जो भी उसे लागू हो

2. अर्हक सेवा में वृद्धि :—

इस विनियम के तहत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने वाले कर्मचारी को जब अनुपात्तिक पेंशन और डी सी० आर० जी० या भविष्य निधि को विशेष अंशदान, यथा स्थिति, की मंजूरी देते समय उसके द्वारा की गई वास्तविक सेवा के अलावा जांच की अधिमान्यता दी जाएगी ऐसा निम्न शर्तों पर होगा:—

(ए) अंशदायी भविष्य निधि द्वारा शासित और अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत विकल्प देने वाले वर्ग 1 व 2 के अधिकारी :—

अधिमान्यता देने के उपरान्त कुल अर्हक सेवा किसी भी हालत में 33 वर्ष की अर्हक सेवा से अधिक न हो और यह उसे उसके अधिवर्षीयता के दिनांक के आगे न ले जाने/दी जाने वाली अधिमान्यता भविष्य निधि को विशेष अंशदान के प्रयोजन हेतु अर्हक सेवा की उपलब्धि के लिए है ताकि बोर्ड की भविष्य निधि के सामान्य अंशदान के लिए (1) अंशदायी, (2) भविष्य निधि के विशेष अंशदान की गणना हेतु कोई भी कर्मचारी वैकल्पिक वेतन निर्धारण के लिए अधिमान्यता की मंजूरी का हकदार नहीं होगा।

(बी) सामान्य भविष्य निधि द्वारा शासित/जिन्होंने सामान्य भविष्य निधि के तहत विकल्प दिया हो:

अधिमान्यता देने के बाद किसी भी हालत में कुल अर्हक सेवा 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह उसके/उसकी अधिवर्षीयता के दिनांक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(सी) अर्हक सेवा के लिए दी जाने वाली अधिमान्यता केवल पेंशन व डी० सी० आर० जी० के प्रयोजन के लिए ही होगी।

(डी) पेंशन और डी० सी० आर० जी की गणना के प्रयोजन हेतु दी जाने वाली अधिमान्यता से कर्मचारी वैकल्प वेतन निर्धारण का हकदार नहीं होगा।

टिप्पणी:—

(1) जो अधिकारी सी.पी. एफ/पेंशन योजना के तहत वेतन की सरकारी परिभाषा के तहत आते हैं। ऐसे वर्ग 1 व 2 अधिकारियों को तथा वर्ग 3 व 4 के ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने पेंशन योजना के तहत वेतन को सरकारी परिभाषा के तहत शासित होने का विकल्प दिया है, अधिमान्यता ग्राह्य होगी।

2. वर्ग 3 और 4 के वे कर्मचारी जो सी. पी. एफ. योजना के तहत पोर्ट की उदार वेतन की परिभाषा द्वारा अनिवार्य रूप से शासित है तथा उक्त ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पेंशन योजना और पोर्ट की उदार वेतन की परिभाषा के लिए विकल्प दिया है, वे इस अधिमान्यता के लिए ग्रहय नहीं है।

3. बोर्ड द्वारा सार्वजनिक हित में स्थायी रूप से सेवा निवृत्त किए गये कर्मचारी इस विनियम के तहत 5 वर्ष की वरीयता के लिए ग्राह्य नहीं होंगे।

(3) स्वैच्छा पूर्वक सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन और डी.सी. आर. जी./भविष्य निधि को विशेष अंशदान की मंजूरी यथास्थिति अन्य उन शर्तों पर की जाएगी जो कि संबंधित विनियम में इसके लिए निर्धारित हैं।

(4) उपरोक्त विनियम 7(2) के तहत प्राधिकृत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लाभ ऐसे कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो स्थाई रूप से किसी स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंगस, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार में आमेलन के लिए सेवा निवृत्ति हो जाते है तथा वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगते समय उस संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर थे।

(5) कोई भी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवा निवृत्त मांगते समय उस अवधि के समाप्त होने के पूर्व उसकी/उसके खाते पर होने वाली छुट्टियों के लिए आवेदन कर सकता है। कर्मचारी द्वारा मांगी गई छुट्टी की स्वीकृती दी जाएगी और यह सेवा निवृत्ति के नोटिस की अवधि के साथ-साथ चलेगी।

विनियम 8:—स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के नोटिस को स्वीकारने की शर्तें :

इन विनियमों के विनियम 6 और 7 के तहत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के नोटिस को निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकार किया जाएगा।

1. कोई भी कर्मचारी निलबंन पर हों और इन विनियमों के किसी भी प्रावधानों के तहत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की मांग करते हैं तो अध्यक्ष अनुमति को रोक सकते हैं:
परन्तु इन विनियमों के तहत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के नोटिस को निम्न परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जाएगा:

(ए) बड़े दण्ड को लगाने हेतु अगर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाई अनिर्णीत है अथवा अपेक्षित है और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि उक्त दण्ड के लगाने से कर्मचारी को सेवा से निकाला जा सकता है अथवा बरखास्त किया जा सकता है; या।

(बी) अगर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कोई न्यायिक कार्यवाई अपेक्षित है अथवा न्यायालय में दर्ज की गई है।

2. उपरोक्त खण्ड 1 में उदधृत मामलों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के नोटिस को न स्वीकारने पर नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले से ही संबंधित कर्मचारी को इसकी सूचना दे दी जाएगी।

3. अगर किसी मामले में विभागाध्यक्ष यह महसूस करता है कि उपरोक्त कारणों के बावजूद भी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकार की जा सकती है तो विभागाध्यक्ष, अध्यक्ष का अनुमोदन लेते समय कर्मचारी द्वारा दिये गये स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति नोटिस को स्वीकारने हेतु ऐसी स्वीकृति के लिए का करणों सहित विशेष सिफारियों का उल्लेख करेगा।

4. उपरोक्त परिस्थितियों में स्वीकार किया गया नोटिस मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (पेंशन) विनियम 1987 के विनियम 56 के तहत पेंशन को रोकने वापस लेने/बंध कर देने आदि के लिए अध्यक्ष की शक्तियों पर कोई प्रतिकल प्रभाव नहीं होगा।

टिप्पणी :—

(1) कर्मचारी अपनी अधिवर्षिता उम्र के पहले या विनिर्दिष्टित सेवा वर्षों की समाप्ति के पहले इन विनियमों के विनियम 5, 6 और 7क के तहत तीन महीने का नोटिस देगा, बशर्ते कि वास्तविक सेवा निवृत्ति वर्ष आयु के पूरा करने पर या निर्दिष्ट वर्षों की समाप्ति के बाद यथा स्थिति होगी।

(2) किसी भी व्यक्तिगत मामले में अध्यक्ष अपने स्व विवेक से नोटिस अवधि में छूट दे सकते है।

विनियम 9

समय-समय पर जैसा आवश्यक हो, अध्यक्ष इन विनियमों के कार्यान्वयन हेतु कार्यविधि निर्धारित करेंगे।

विनियम 10

इन विनियमों के किसी भी प्रावधानों पर व्याख्या करने का अधिकार केवल बोर्ड को ही है और उसका निर्णय ही अन्तिम होगा।

विनियम 11 : निरसन और बचाव

इन संशोधित विनियमों के लागू होते ही, म.पो.ट्र कर्मचारी स्वैच्छिक निवृत्ति योजना 1983 जो अब लागू है निरस्त की जाती है।

परन्तु निरस्त उपरोक्त योजना के प्रावधानों के तहत प्राप्त कोई भी सहूलियत या आदेश या की गई कार्यवाई इन संशोधित विनियमों के प्रावधानों के तहत मानी जाएगी।

प्रधान विनियम :

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) विनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है जल भूतल परिवहन मंत्रालय की पत्र संख्या पी. ई. एम. 14/76 दिनांक 10-8-1976 को देखें।

मद्रास पत्तन न्यास

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास पत्तन न्यास बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित संशोधित विनियम बनाता है :

1. लघु शीर्षक :

इन विनियमों को मद्रास तत्तन न्यास कर्मचारी विनियम (सेवा निवृत्ति के उपरांत रोजगार स्वीकार करना) (संशोधन) विनियम कहा जाएगा।

2. मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के उपरांत रोजगार स्वीकार करना) विनियम आगे से प्रधान विनियम कहलाएगा (निम्नलिखित को विनियम-3 के खण्ड "ख" में जोड़ा जाएगा। उक्त विनियम की परिभाषा निम्नलिखित है :

"(घ) "सेवा निवृत्ति" से तात्पर्य मद्रास पत्तन न्यास (सेवा निवृत्ति) विनियम में सुनिश्चित 5,6,7 विनियमों के अनुसार न्यास की सेवा से निवृत्ति है"।

प्रधान विनियम :

केन्द्रीय सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय के पत्र सं. पी. ई. एम-15/76 दिनांक 17-4-1976 द्वारा अनुमोदित मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के उपरांत रोजगार स्वीकार करना) विनियम।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 1991

G.S.R. 217(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (*i*) of section 124, read with sub-secion (i) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Madras Port Trust Employees (Retirement) (Amendment) Regulations, 1991 made by the Board of Trustees for the Port of Madras and set out in the schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

[No. PR-12016/7/91-PE.I]

ASHOKE JOSHI, J. Secy.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963), the Madras Port Trust Board hereby makes the following amendment regulations in replacement of the MPT Employees' Voluntary Retirement Scheme, 1983.

1. Short title:—These regulations shall be called the Madras Port Trust Empoyees' (Retirement) (Amendment) Regulations, 1991.

2. In the Madras Port Trust Employees (Retirement) Regulations hereinafter called the Principal Regulations, the Notes (i), (ii) and (iii) under Regulation 6 shall be deleted.

3. In the Principal Regulations, the following shall be included as Regulations 7, 8, 9, 10 and 11.

"Regulation 7—Voluntary Retirement on attaining Twenty years of qualifying service.

(1) Notwithstanding anything contained in the Regulation 6 of these regulations, an employee who has put in not less than twenty years of qualifying service may, by giving notice of three months in writing, retire from service voluntarily subject to the following conditions:

(a) The notice of voluntary retirement shall require acceptance by the Chairman;

(b) The right to retire is purely voluntary, the initiative resting with the employee himself/herself. The Port Trust shall not have the reciprocal right to retire the employee under Regulation (7).

(c) The notice of voluntary retirement given by an employee under this regulation may be withdrawn subsequently, but only with the approval of the Chairman provided the request for such withdrawal shall be made before the expiry of the notice period.

(d) If an employee retire under this regulation while he/she is on leave-not-due without returning to duty, the retirement shall take effect from the date of commencement of leave-not-due and leave salary paid in respect of such leave-not-due, shall be recovered.

(e) An employee who seek to retire voluntarily under this Regulation, shall satisfy himself/herself, before giving notice to retire that he/she has infact completed twenty years of service qualifying for—

(i) Pension under the Madras Port Trust (Pension) Regulations; or

(ii) Special contribution to Provident Fund under the Madras Port Trust Contributory Provident Fund Regulations whichever is applicable to him/her.

2. Additions to qualifying service :

While granting proportionate Pension and DCRG or Special Contribution to Provident Fund as the case may be, to an employee retiring voluntarily under this regulation, weightage upto five years would be given as an addition to qualifying service actually rendered by him/her. The grant of weightage upto five years will, however, be subject to the following conditions :—

(a) Classes I and II Officers governed by Contributory Provident Fund and opted to remain under Contributory Provident Fund Scheme :—The total qualifying service after giving weightage should not in any event exceed 33 years of qualifying service and it does not take him/her beyond the date of superannuation. The weightage given will be only an addition to qualifying service for purpose of special contribution to Provident Fund and not for Bard's ordinay contribution to Provident Fund. The grant of the above weightage will not entitle the employee to any notional fixation of pay for the calculation of Special contribution to Contributory Provident Fund.

(b) Employees governed|opted to be governed by General Provident Fund.—The total qualifying service after giving weightage should not in any even exceed 33 years of qualifying service and it does not take him/her beyond the date of superannuation.

(c) The weightage given will be only an addition to the qualifying service for purpose of Pension and DCRG.

(d) The grant of the above weightage will not entitle the employee to any notional fixation of pay for the purpose of calculating pension and DCRG.

NOTE :

(i) The weightage is admissible to Classes I and II Officers who are governed by Government definition of pay under CPF/ Pension Schemes and to Classes III and IV employees who opt to be governed by Government definition of pay under Pension Scheme.

(ii) The weightage is not admissible in the case of Classes III and IV employees who are compulsorily governed by Port's liberalised definition of pay under CPF Scheme and also in the case of Classes III and IV employees who opt for pension scheme and Port's liberalised definition of pay.

(iii) The weightage of 5 years referred to in this regulation shall not be admissible in cases of those who are prematurely retired by the Board in the public interest.

(3) The grant of Pension and DCRG/Special Contribution to Provident Fund, as the case may be, in respec of employees retiring voluntarily shall be subject to the other conditions prescribed therefor in the respective regulations concerned.

(4) The benefit of voluntary retirement prescribed under regulation 7(2) above shall not apply to employees who retire from service for being absorbed permanently in an autonomous body|Public Sector Undertaking, Central or State Government to which he is on deputation at the time of seeking voluntary retirement.

(5) An employee giving notice of voluntary retirement may also apply for the leave standing to his/her credit before the expiry of the notice period. The leave applied for by the employee may be granted to him/her to run concurrently with the period of notice.

Regulation 8 : Conditions for acceptance of notice on Voluntary retirement :

The acceptance of notice of voluntary retirement under Regulations 6 and 7 of these regulations shall be subject to the following conditions :—

(i) It shall be open to the Chairman to withhold permission to an employee who is under suspension and who seek to retire voluntarily under any of the provisions of these regulations :

Provided that the notice of voluntary retirement under these regulations shall not be accepted under the following circumstances :

(a) If any disciplinary proceedings are pending or contemplated against the employee concerned for the imposition of a major penalty and the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, is of the view that the imposition of the penalty of removal or dismissal from service would be warranted in the case; or

(b) If any prosecution is contemplated or may have been launched in a Court of Law against the employee concerned.

(ii) Non-acceptance of notice of voluntary retirement in the contingencies referred to in the proviso to Clause (i) above should be informed to the employee concerned before the expiry of the notice period.

(iii) In cases where the Heads of Departments feel that the notice of voluntary retirement even in the aforesaid contingencies can be accepted, specific recommendations with reasons for the acceptance of the notice of voluntary retirement given by such employee shall made while seeking the approval of the Chairman.

(iv) The acceptance of notice in the aforesaid contingencies shall be without prejudice of

the Chairman's powers to withhold/withdraw/forfeit the Pension under Regulation 56 of the Madras Port Trust (Pension) Regulations, 1987.

NOTE :

(i) Three months notice referred to in Regulation 5, 6 and 7 of these regulations may be given before the employee attains the age or before he completes the number of years of service specified therein provided that the actual retirement takes place after he has attained the age or has completed the prescribed number of years of service as the case may be.

(ii) The Chairman, may at his discretion, waive the period of notice in individual case.

Regulation 9 :

The Chairman shall prescribed procedure for implementing the provisions of these regulations as may be necessary from time to time.

Regulation 10 :

The power to interpret any of the provisions of these ergulations shall vest with the Board whose decision thereon shall he final.

Regulation 11 : Repeal and Saving

On commencement of these amendment regulations, the MPT Employees' Voluntary Retirement Scheme, 1983 which was in force is hereby repealed.

Provided that any order made or action taken or liberalisations availed of under the provisions of the said scheme so repealed shall be deemed to have been made or taken or availed of under the corresponding provisions of these amended regulations".

PRINCIPAL REGULATIONS :

Madras Port Trust Emplyees' (Retirement) Regulations approved by Central Government *vide* Ministry of Surface Transport's letter No. PEM-14/76 dated 10-8-1976.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991